न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी: अशोक सांगवा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–103/2025(जीसीएमएस नं.)

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़
–प्रार्थी

बनाम

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी वार्ड नं.–04 अनूपगढ़
–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णय:– दिनांक:–05.08.2025

यह इस्तगासा **जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–05.12.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ मय प्रवर्तन स्टॉफ, अनूपगढ बी.एस.एफ के सामने स्थित फर्म/होटल राजेन्द्र टी स्टॉल पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म राजेन्द्र टी स्टॉल पर **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी वार्ड नं.–04 अनूपगढ** मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री राजेन्द्र कुमार की उपस्थिति में फर्म राजेन्द्र टी स्टॉल की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता आदि बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए राजेन्द्र टी स्टॉल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भटटी से जुडा पाया गया तथा 02 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखे पाये गये, जो कि भटटी/चूल्हे/से जुडे हुए नहीं थे। दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. कम्पनी के पाये गये। श्री राजेन्द्र कुमार ने उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज राजेन्द्र कुमार के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

फर्म राजेन्द्र टी स्टॉल पर पाये गये 03 गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी के कार्मिक बिल्लू गिल्होत्रा पुत्र मुश्ताक राय उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं.–01 सूरतगढ आधार संख्या–958926289530 मो. नं.–9610887491 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच से स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी वार्ड नं.–04 अनूपगढ़ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्य मे उपयोग किया जा रहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी वार्ड नं.–04 अनूपगढ़ का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6व7(1)(ग)का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भटटी मय रेगुलेटर/पाईप को राजसात करना उचित समझते है।

अति.जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बी.एस.एफ. के सामने चाय की दुकान है। प्रार्थी का एक सिलेण्डर घर छोड़कर चले गए थे। अचानक रसद

विभाग वालों ने दुकान पर छापा मारा और तीनों सिलेण्डर जब्त करके ले गए। प्रार्थी शुगर वा बी.पी. का मरीज है। प्रार्थी दुकान कम जाता है। प्रार्थी के दो लड़के दुकान पर बैठ जाते है। प्रार्थी गरीब आदमी है चाय का काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी अपने उक्त सिलेण्डर वापिस लेना चाहता है। प्रार्थी के पक्ष में नरमी का रूख अपनाते हुए न्यायसंगत निर्णय फरमानें की कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी वार्ड नं.–04 अनूपगढ़** की दुकान से जब्तशुदा (फर्द मौका जब्तीनुसार) 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्ठी मय रेगुलेटर/पाईप को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़
अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़